हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 133

सोमवार, 6 मार्च, 2017/15 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>2.00 बजे (अपराह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3604 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3708 से 3715, 3717 से 3719 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3716 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3720 से 3731 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1506, 1420, 1539, 1550 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1577 से 1587 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 6 मार्च, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. **कागज़ात सभा पटल पर :**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. **सदन की समिति का प्रतिवेदनः**

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17) ने समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा पटल में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :**

श्री रणधीर शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

दिनांक 2 मार्च, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**फोरलेन की जद में मकान; ब्लास्टिंग में दरारें, दहशत में कट रही रातें**", से उत्पन्न स्थिति ।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(I) of First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agarsen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing form the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को जोड़ाः-

"That the House do proceed to authorise the Hon'ble Speaker to nominate two members in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

(प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार)

7. <u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः</u>

दिनांक 3 मार्च, 2017 को **श्री जगजीवन पाल, सदस्य** द्वारा प्रस्तुत तथा **श्री संजय रतन, सदस्य** द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चाः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

(माननीय मुख्य मन्त्री ने हस्तक्षेप किया)

2. श्री कुलदीप कुमार
3. डा0 राजीव बिंदल

(माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने हस्तक्षेप किया)

4. श्री राकेश कालिया
5. श्री महेश्वर सिंह

(माननीय सहकारिता मन्त्री ने हस्तक्षेप किया)

6. श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव
7. श्री इन्द्र सिंह

(सांय 7.00 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाई गई)

8. श्री किशोरी लाल
9. श्री गोविन्द राम शर्मा
10. श्री बम्बर ठाकुर
11. श्री हंस राज

(रात्रि 8.00 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.30 तक बढ़ाई गई)

12. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

(रात्रि 8.25 बजे सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)